Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- प्रतापगढ में आरोपी मदन लाल पटवारी पटवार हल्का केलामला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ 6,000/–रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 26 अगस्त 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी प्रतापगढ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी **मदन लाल पटवारी** को **6,000/–रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. की चौकी प्रतापगढ पर दिनांक 24.08.2026 को एक शिकायत इस आशय की मिली कि पटवार मण्डल रोहणिया का पटवारी मदन लाल परिवादी के गांव के लोगो व परिवादी तथा उसके परिवार वालो से प्रत्येक पट्टा ऑनलाईन करने व मौका देखने कि एवज में 2000–2000/– हजार रूपये की रिश्वत कि मांग कर परेशान कर रहा है। जिसमें मेरे व मेरे परिवार वालो के कुल 03 पट्टे है जिनको ऑनलाईन करने व मौका देखने के लिये कुल तीन पट्टो की राशि 6,000/– रूपये मांग रहा है।

जिस पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी मदन लाल पटवारी द्वारा तीन पट्टे ऑनलाईन करने व मौका देखने की एवज में प्रत्येक पट्टा 2,000/– रूपये के हिसाब से कुल 6,000/– की रिश्वत राशि की मांग की गई।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक–प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में एसीबी प्रतापगढ के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपी मदन लाल पटवारी को 6,000/–रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है। दौराने तलाशी आरोपी के पास से 25068/– रूपये मिले जिसके सम्बन्ध में आरोपी कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दे सका।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन** में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

–किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है।

प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135–02834** पर **24X7** सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।